न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या 55 / 2024 अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
नीम्बाराम पुत्र जेराम जाति बेलदार, निवासी ओमनगर तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. स्वरूपाराम पुत्र माधाराम 2. भंवरा पुत्र जेराम 3. गेनाराम पुत्र माधाराम जाति बेलदार, निवासी ओमनगर तहसील शिव, जिला बाड़मेर 4. मैनेजर, आईसीआईसीआई बैंक भीयाड़ 5. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री भगवानदास गोयल।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 10.10.2025

प्रार्थी के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत मौजा ओम नगर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 466 / 374 रकबा 7.2789 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थी का उक्त विवादित आराजी में कब्जा काश्त उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है जबकि उक्त विवादित आराजी की लट्ठा नक्शा में तरमीम पूर्व से पश्चिम की ओर की गई है, जो प्रार्थी के कब्जा काश्त के एकदम विपरीत है। प्रार्थी के सेढासेढ ही विप्रार्थीगण की खातेदारी के खेत आये हुए है। विवादित आराजी में प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेतों के मध्य सीमा चिन्ह माठे कायम है तथा अपने अपने कब्जा काश्त में काबिज है। वर्तमान में राजस्व रेकर्ड को ऑनलाईन करते समय उक्त विवादित आराजी में राजस्व रेकर्ड के लट्ठा नक्शा में राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा विवादित आराजी की तरमीम बिना मौका मुआयना किये तथा कब्जा काश्त की बिना जांच किये गलत तरमीम कर दी गई, जिसे मौके पर पक्षकारान् के कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। उक्त गलत तरमीम से खातेदारान् का कब्जा काश्त एक दुसरे की तरमीम में आ गये है तथा मौके पर कब्जा काश्त प्रभावित हो रहा है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई त्रूटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर पक्षकारान् के माफिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम एवं रेकर्ड दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान् के रूबरू जांच की गई, जिसमें लट्ठा नक्शा में तरमीम अंकित करते समय कब्जा काश्त अनुसार तरमीम नहीं होने से मौके पर वास्तविक कब्जा एवं लट्ठा नक्शा की तरमीम भिन्न है। मूल खसरा नम्बर 374 के विभाजन से नवीन खसरा नम्बर 464 / 374, 465 / 374, 466 / 374, 467 / 374 का सजृन किया गया। मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान तरमीम नहीं है। मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार पक्षकारान् के कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की जिस पर उभयपक्ष खातेदारान् व मौतबिरान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:32:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा मे विद्यमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर वास्तविक कब्जा काश्त एवं लट्ठा नक्शा की तरमीम म भिन्नता है। मूल खसरा नम्बर 374 के विभाजन से नवीन खसरा नम्बर 464/374, 465/374, 466/374, 467/374 का सजृन किया गया। मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान तरमीम नहीं होने पर मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार पक्षकारान् के कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई, जिस पर उभयपक्ष खातेदारान् व मौतबिरान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है। विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है, किन्तु तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित रहकर उक्त तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। साथ ही प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तहसीलदार मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा ओमनगर, तहसील शिव में प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 466/374 रकबा 7.2789 हैक्टेयर एवं विप्रार्थी सख्या 1 से 3 के खेत खसरा नम्बर 464/374, 465/374, 467/374 रकबा क्रमशः 3.6395, 3.6395, 7. 2789 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 10.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:32:07 IST
Reason: SelfAttested